रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253041
CG-DL-E-15032024-253041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

मि.सं.10-2/हो.चि.आं.एवं श्रे.बो/रा.हो.आ/2023-24– राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग,2020 (2020 का 15) के साथ पठित धारा (28) की धारा 55 की उप- धारा (2) की उप-धारा (1) तथा खण्ड (फ),(ब), (भ), (म), (य), (य)(ख) और (य)(ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निरीक्षक तथा आगंतुक) विनियम,1982 के अधिक्रमण में, उनको जो कि इन विनियमों से पहले निकाले अथवा रखे जाने थे, को छोड़ कर, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1)** इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणी निर्धारण) विनियम, 2024 होगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं– (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनयम, 2020 (2020 का 15) है;

(ख) "सम्बद्ध अस्पताल" का तात्पर्य होम्योपैथी आयुर्विज्ञान शैक्षणिक महाविद्यालय संस्थान के साथ सम्बद्ध अस्पताल है;

(ग) "पाठ्यक्रम से तात्पर्य होम्योपैथी अध्ययन पाठ्यक्रम, अर्थात:-

(i) होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक, से तात्पर्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक होम्योपैथी स्नातक अर्हता,

(ii) "आयुर्विज्ञान वाचस्पति (होम्योपैथी) अथवा होम्योपैथी में स्नातकोत्तर" डिग्री से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक होम्योपैथी स्नातकोत्तर अर्हता,

(iii) अन्य कोई आयुर्विज्ञानी अहर्ता पाठ्यक्रम जो कि होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा होम्योपैथी में स्नातक स्तर से ऊपर की मान्यता प्राप्त अर्हता जिसमें प्रशिक्षण अथवा अधि- सदस्यता (फैलोशिप) शामिल है।

(घ) "प्रपत्र " से तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न प्रपत्र है;

(ङ) "योजना" से तात्पर्य किसी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए मान्यता तथा श्रेणी निर्धारण के लिए सूचना प्रदान करने हेतु व्यवस्थित योजना,

(च) न्यूनतम आवश्यक मानकों' का अर्थ होम्योपैथी शिक्षा संस्थान में होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं के संचालन के लिए निर्धारित मानकों से है और इसमें चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता के मानदंड शामिल हैं;

(छ) 'निरीक्षक' का अर्थ होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा नियुक्त या होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष की एजेंसी के द्वारा निर्धारित विशेषज्ञों की एक टीम से है, जो होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के परीक्षण कर आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण और रखरखाव के लिए चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करता है।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जोकि यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम मे समनुदेशित किए गए हैं।

3. आयुर्विज्ञान संस्थान का आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण प्रक्रिया – (1) प्रत्येक वर्तमान चिकित्सा संस्थान को न्यूनतम आवश्यक मानकों के रखरखाव के मूल्यांकन के लिए "होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड को निर्दिष्ट शुल्क के साथ वार्षिक आधार पर प्रासंगिक अनुबंधों के साथ ऑफ़लाइन अथवा ऑनलाइन विधि द्वारा, संरचित प्रारूप में जानकारी जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जैसा कि विनियम के माध्यम से श्रेणीनिर्धारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है ।

(2) आवश्यक शुल्क के साथ जमा करने की निर्दिष्ट केवल अंतिम तिथि अथवा उससे पहले प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

(3) चिकित्सा संस्थान आवेदन के साथ विश्वविद्यालय का विगत वर्ष का संबद्धता निरंतरता प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) सभी योग्य चिकित्सा संस्थानों को खोलने हेतु पांच वर्ष की अवधि के बाद तथा तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष, निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अधीन रखरखाव हेतु आंकलन अथवा श्रेणीनिर्धारण किया जाएगा।

(5) ऐसे सभी दस्तावेज़ जो अंग्रेजी अथवा हिंदी में नहीं हैं, उनका अनुवाद किया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्लन किया जाएगा।

(6) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड ऐसे संस्थान का आंकलन के पश्चात आवश्यक मानकों को बनाए रखने के अनुपालन के संदर्भ में चिकित्सा संस्थान की पूर्ति का सत्यापन करेगा ।

(7) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड, आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण के उद्देश्य से किसी भी समय किसी भी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान से कोई जानकारी, स्पष्टीकरण, दस्तावेज अथवा डिजिटल सामग्री मांग सकता है ।

4. आवेदन के साथ जमा किया जाने वाला शुल्क - विनियमानुसार जमा किए गए आवेदन के साथ निम्नलिखित तालिका-1 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) अथवा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली को देय होगा।

तालिका-1

वर्तमान होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय			
शुल्क	**राशि (रू०)**		
	स्नातक पाठ्यक्रम	केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
आंकलन हेतु शुल्क प्रसंस्करण	दो लाख	तीन लाख	चार लाख

नये होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हेतु		
शुल्क	**राशि (रू०)**	
आंकलन हेतु शुल्क प्रसंस्करण	स्नातक पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (प्रति विषय)
	पॉच लाख	दो लाख

सीटों की वृद्धि हेतु		
आंकलन हेतु शुल्क प्रसंस्करण	चार लाख	पच्चीस हजार प्रति सीट

5. स्व-प्रकटीकरण के आधार पर वर्तमान संस्थानों में प्रवेश हेतु मान्यता विस्तारण- (1) सभी मान्यता प्राप्त मौजूदा होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान जो कि जिनकी स्थापना को पांच साल से अधिक है तथा जिन्हें होम्योपैथी या आयोग

या भारत सरकार, चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड से पिछले तीन वर्षों से लगातार अनुमति प्राप्त हो, उन्हें स्व-प्रकटीकरण के आधार पर आयोग के वेब पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम आवश्यक मानकों के पूर्ण अनुपालन के संदर्भ में शपथ पत्र के साथ इन विनियमों में अधिसूचित विगत वर्ष की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार अगले वर्ष हेतु प्रवेश के लिए मान्यता का विस्तार मिलेगा । ऐसे महाविद्यालयों का विनियमों की आवश्यक अनुपालन के सत्यापन हेतु निरीक्षण किया जा सकता है। प्रवेश की अनुमति के विस्तार की सूचना जारी की जाएगी;

(i) यदि संस्थान पर राष्ट्रीय होम्योपैथी अधिनियम की धारा 28 के खंड (च) उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत होम्योपैथी अथवा आयोग अथवा भारत सरकार आयुर्विज्ञान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है।

(ii) यदि संस्थान के खिलाफ कोई कानूनी अथवा अनुशासनात्मक मुद्दा लंबित अथवा विचाराधीन न हो।

(iii) यदि संस्थान ने निर्दिष्ट विनियमों अनुसार छात्रों के प्रवेश पर विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

(2) वर्तमान महाविद्यालय जो उपरोक्त उप विनिमय (1) की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें निरीक्षण के पश्चात ही आगामी शैक्षणिक वर्ष के विधार्थियों के प्रवेश हेतु अनुमति दी अथवा अस्वीकृत किया जाएगा।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड निरीक्षण के पश्चात यदि संस्थान को नियमों के माध्यम से निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं करता हुआ पाता है, तो इस विनियमन की धारा 8 और 9 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(4) जो संस्थान प्रवेश हेतु अनुमति नहीं मांग रहे हैं अथवा जिन्हें विगत पांच वर्षों के दौरान लगातार अनुमति नहीं प्रदान की गई है, उन्हें नवीन कॉलेज के रूप में माना जाएगा, एवं वे संबंधित विनियमों के अन्यत्र अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार नया महाविद्यालय खोलने की योजना के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

6. आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु निरीक्षक अथवा स्वतंत्र श्रेणीनिर्धारण एजेंसियों की नियुक्ति प्रक्रिया - (1) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड के अध्यक्ष, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति के निरीक्षण हेतु आवश्यक संख्या में निरीक्षकों, प्राधिकृत तृतीय पक्ष एजेंसी की नियुक्ति करेंगे ।

(2) किसी भी व्यक्ति को निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित योग्यताधारी न हो;

(i) आयोग के होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता सूची में शामिल एक मान्यता प्राप्त

स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री योग्यता तथा

(ii) केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्वायत्त संस्थान में कम से कम पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना ।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और रुचि की अभिव्यक्ति तथा आयोग की मंजूरी के पश्चात, चिकित्सा अथवा गैर- चिकित्सा संस्थानों के स्वतंत्र आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु समान कार्य का अनुभव रखने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी की सेवाएं भी ले सकता है,

(4) विशेषज्ञों की टीम अथवा स्वतंत्र आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण एजेंसी न्यूनतम आवश्यक मानकों के आंकलन तथा संस्थानों के श्रेणीनिर्धारण हेतु जारी दिशानिर्देशों का पालन करेगी ।

7. चिकित्सा संस्थानों का आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु निरीक्षण प्रक्रिया – आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन बोर्ड निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक को बनाए रखने हेतु आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करने हेतु निरीक्षकों की इतनी संख्या अथवा प्राधिकृत तृतीय पक्ष की स्वतंत्र श्रेणीनिर्धारण एजेंसी के माध्यम से जितनी आवश्यक हो, नियुक्त करेगा।

(ख) निरीक्षण भौतिक अथवा ऑनलाइन अथवा हाईब्रिड पद्धिति से किया जाएगा,

(ग) संस्थान का अवलोकन इन विनियमों में निर्दिष्ट श्रेणीनिर्धारण मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) चिकित्सा संस्थानों की श्रेणीनिर्धारण प्रति वर्ष राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(ङ) निरीक्षण दल अथवा श्रेणीनिर्धारण एजेंसी को संस्थानों के प्राधिकारी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित, उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है,

(च) चिकित्सा संस्थान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु निरीक्षण रिपोर्ट को संलग्नकों सहित अथवा वीडियो रिकॉर्डिंग की जानकारी गोपनीय रखा जाएगा । इसे एक सीलबंद लिफाफे में टीम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा, रिपोर्ट की प्रति उसी दिन बोर्ड के आधिकारिक ईमेल पर ऑनलाइन जमा की जाएगी- ।

(छ) होम्योपैथी चिकित्सा एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय के पश्चात अवलोकन एवं श्रेणीनिर्धारण निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ज) यदि होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड अथवा आयोग द्वारा आवश्यक पाया गया, तो एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान एक महाविद्यालय का एक से अधिक निरीक्षण किए जा सकते हैं।

8 न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता- अवलोकन पर, यदि कोई संस्थान होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो सीटों की संख्या को कम करेगा अथवा प्रवेश की अनुमति प्रदान करने से इंकार करेगा अथवा उस विशेष शैक्षणिक वर्ष अथवा उसके पश्चात के वर्ष, जैसा भी मामला हो, की मान्यता वापस लेने हेतु आयोग को सिफारिश करेगा ।

9. शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता हेतु दण्ड प्रभार- होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड निम्नलिखित कारणों से चिकित्सा संस्थान के विरूद्ध दण्ड अथवा कार्रवाई करने की चेतावनी जारी करेगा:

(i) न्यूनतम मानक स्तर बनाये रखने के दावे के समर्थन में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा संस्थान पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा,

(ii) किसी शिक्षक अथवा किसी अन्य कर्मचारी को झूठा शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने हेतु चिकित्सा संस्थान पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, और

(iii) ऐसे चिकित्सा संस्थानों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा जिनकी पूर्णकालिक शिक्षकों के रूप में नियुक्त संकाय सूची में फर्जी शिक्षक हैं।

(iv) होम्योपैथी के लिए चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड, निर्दिष्ट समयबद्ध रूप में न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर बनाए रखने हेतु कमियों को दूर करने के निर्देशों के अतिरिक्त चिकित्सा संस्थान को चेतावनी भी जारी कर सकता है;

(v) यदि पाया गया कि निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर कमियों को दूर करने में संस्थान असफल रहता है तो चिकित्सा संस्थान पर आयोग द्वारा अनुशंसित आर्थिक दंड लगाया जाएगा;

(vi) चिकित्सा संस्थान पर लगाए जाने वाले दण्ड प्रभार की राशि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के खाते में जमा की जाएगी;

(vii) यदि आर्थिक दण्ड समय पर आयोग में जमा नहीं कराया जाता है, तो आगामी वर्ष हेतु चिकित्सा संस्थान को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

10. नये चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु योजना के मूल्यांकन हेतु निरीक्षण-(1) नये चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं का मूल्यांकन के पश्चात (प्रपत्र-1) में अपेक्षित शुल्क के साथ आवश्यक जानकारी तथा दस्तावेज जमा करने के उपरांत एक निरीक्षण पर विचार किया जाएगा।

(2) नये संस्थान को आशय पत्र जारी करने से पहले निम्नलिखित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाएगा, अर्थात; - (क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों और न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन;

(ख) आवश्यक योग्यता तथा अनुभव को पूरा करने वाले आवश्यक संकाय की लिखित सहमति, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की उपलब्धता;

(ग) वर्तमान होम्योपैथी अस्पताल के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने हेतु अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसा कि चिकित्सा संस्थान के लिए आवश्यक हों, प्रदान की गई हैं;

(घ) आयोग के प्रारूप के अनुसार परिसर का निरीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र,

(ङ) निरीक्षण रिपोर्ट के साथ आयोग के प्रारूप में जारी सम्बद्ध विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की

वैध सहमति।

(3) नई योजना का आवेदन, यदि आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार तथा उप-विनियम (2) के तहत पूरा प्रदान नहीं किया गया है, तो वापस कर दिया जाएगा ।

(4) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड निरीक्षण के माध्यम से नई योजना के लिए होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों तथा सुविधाओं के निरीक्षण के पश्चात आशय पत्र जारी करेगा ।

(5) नये चिकित्सा संस्थान की स्थापना के प्रथम वर्ष से पांच वर्ष के दौरान एवं उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से आवश्यक शुल्क के साथ आंकलन, न्यूनतम आवश्यक मानक तथा श्रेणीनिर्धारण के मूल्यांकन हेतु निरीक्षण किया जायेगा ।

(6) नये संस्थान का होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार चरणबद्ध विकास का मूल्यांकन किया जाएगा।

(7) अस्पताल सहित चिकित्सा संस्थान के सुचारू कामकाज हेतु निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, शिक्षण तथा गैर-शिक्षण संकाय, चिकित्सा तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ, तथा अन्य उपयुक्त आवश्यक सुविधाओं के अनुपालन हेतु निर्धारित

मानदंडों के अनुसार जैसा कि आशय पत्र में उल्लेखित हो तथा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में बैंक गारंटी की प्राप्ति के पश्चात अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।

(8)होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड महाविद्यालय के भौतिक निरीक्षण के पश्चात सभी सुविधाओं का सत्यापन करेगा, यदि महाविद्यालय में स्थापित सुविधाओं से संतुष्ट हैं तो वह महाविद्यालय एवं संलग्न अस्पताल को एक शैक्षणिक वर्ष हेतु अनुमति जारी करेगा । यदि कोई आवश्यक सुविधाओं को संबोधित किया गया नहीं पाया गया, तो आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति पत्र, जैसा भी मामला हो, जारी नहीं किया जाएगा, अथवा रद्द कर दिया जाएगा ।

(9) अनुमति पत्र उस विशेष शैक्षणिक वर्ष हेतु ही जारी किया जाएगा जिसके लिए आवेदन प्राप्त हुआ है ।

(10) नये चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन, आवश्यक शुल्क के साथ खुलने की तिथि एवं वर्ष से पांच वर्ष तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(11) नए संस्थान का आंकलन, न्यूनतम आवश्यक मानक तथा श्रेणीनिर्धारण हेतु नई योजना के चरणबद्ध विकास के अनुसार होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नयी योजना की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

11. नया अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण हेतु नई योजना का आंकलन - (1) एक चिकित्सा संस्थान द्वारा एक नया उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने हेतु निरीक्षण, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा विनियम के माध्यम से निर्दिष्ट आवेदन की पात्रता की आवश्यकता के अनुसार आंकलन के पश्चात विचार किया जाएगा।

(2) संस्थान का आंकलन आशय पत्र जारी करने से पहले निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा:

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नई योजना के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर, 2024 के अनुसार बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता।

(ख) चिकित्सा संस्थान के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक संकाय, गैर-शिक्षण तथा सहायक कर्मचारी, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं में अतिरिक्त सुविधाएं व अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हों।

(ग) निरीक्षण के माध्यम से आंकलन के अनुसार पर्याप्त एवं क्रियाशील अस्पताल जिसमें सुविधाएं तथा कामकाज हो रहा हो;

(घ) विगत दो वर्षों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निरंतरता हेतु जारी संबद्धता प्रमाण पत्र सहित, संकायों और गाइडों की सूची,

(ङ) स्नातक पाठ्यक्रम को प्रभावित किए बिना विश्वविद्यालय द्वारा उच्चतर पाठ्यक्रम के लिए संकायों को मंजूरी; तथा

(च) राज्य सरकार से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड, चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण करेगा, यदि आवेदक संस्थान योग्य पाया गया तो इस हेतु आशय पत्र जारी करेगा । एक चिकित्सा संस्थान द्वारा एक नया उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने हेतु आशय पत्र में निरीक्षक द्वारा अवलोकन के अनुसार भवन, ढांचागत सुविधाओं, चिकित्सा और संबद्ध उपकरण, संकाय तथा अन्य श्रमशक्ति की आवश्यकता की पूर्णता के संबंध में एक सूची शामिल होगी।

(4) नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के मामले में होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कमियों सुधारने का एक अवसर दिया जाएगा।

(5) कमियों को दूर न किए जाने की स्थिति में, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा योजना को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(6) मूल्यांकन के पश्चात अनुमति पत्र जारी किया जाएगा तथा आशय पत्र में इंगित शर्तों और आवश्यकताओं के अनुपालन व आयोग के पक्ष में आवश्यक प्रदर्शन बैंक गारंटी अथवा सुरक्षा जमा की प्राप्ति तथा नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरंभ करने के नियमों के अनुसार आवश्यक संकाय, अन्य श्रमशक्ति तथा सुविधाओं की नियुक्ति।

(7) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले सभी सुविधाओं का सत्यापन किया जाएगा।

12. वर्तमान चिकित्सा संस्थान में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए योजना का आंकलन- (1) वर्तमान चिकित्सा संस्थान की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु निरीक्षण, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक स्तरों के अनुसार आवेदन पात्रता की आवश्यकताओं के आंकलन व अपेक्षित शुल्क के साथ आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जमा करने के पश्चात विचार किया जाएगा।

(2) प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु आवेदन करने वाले वर्तमान चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान को आशय पत्र जारी करने से पूर्व निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंकलन किया जाएगा, अर्थात :-

(क) विभिन्न नियमों द्वारा अधिसूचित प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर, 2024 के अनुसार बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;

(ख)योजना में निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थान में उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक संकाय, गैर-तकनीकी और सहायक कर्मचारी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं; तथा

(ग) पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं अस्तित्व में कार्यरत हैं।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण करेगा और यदि आवेदक संस्थान योग्य पाया जाता है, तो आशय पत्र जारी करेगा।

(4) किसी चिकित्सा संस्थान में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के आशय पत्र में भवन, बुनियादी सुविधाओं, चिकित्सा और संबद्ध उपकरण, संकाय तथा अन्य श्रमशक्ति के संबंध में पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं का विवरण शामिल होगा।

(5) प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के मामले में, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर त्रुटि निवारण का अवसर दिया जाएगा।

(6) त्रुटि निवारण न किए जाने की स्थिति में योजना को चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(7) पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर के रखरखाव पर विचार करने व आशय पत्र में इंगित आवश्यकताओं के अनुपालन तथा पूर्ति के मूल्यांकन के पश्चात ही अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।

(8) आयोग के पक्ष में आवश्यक निष्पादन बैंक गारंटी अथवा सुरक्षा जमा करने और आवश्यक संकाय तथा अन्य श्रमशक्ति की नियुक्ति।

(9) चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अवलोकित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के मामले में, प्रवेश क्षमता में वृद्धि की योजना अस्वीकृत कर दी जाएगी।

13. चिकित्सा संस्थानों हेतु श्रेणीनिर्धारण मापदंड- (1) श्रेणीनिर्धारण के उद्देश्य हेतु चिकित्सा संस्थानों का आंकलन निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाएगा:

(i) बुनियादी ढांचा तथा उपकरण;

(ii) मानव तथा वित्त संसाधन;

(iii) अस्पताल संचालन तथा कार्यप्रणाली;

(iv) शिक्षण-प्रज्ञता कार्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी;

(v) शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन (पाठ्यक्रम परिणाम);

(vi) अनुसंधान और प्रकाशन

(vii) समाज तक पहुँचने हेतु कार्यक्रम;

(viii) कर्मचारी अथवा छात्र कल्याण;

(ix) राष्ट्रीय आंकलन और प्रत्यायन परिषद, अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, मानकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन;

(x) गुणवत्ता आश्वासन और प्रतिपुष्टि; और

(xi) संकाय और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण।

(2) औसत अंक प्राप्त करने के लिए, विनियमों में लागू आवश्यकताओं की विशिष्टताओं के अनुसार, चिकित्सा संस्थानों द्वारा बुनियादी ढांचे तथा श्रमशक्ति के संबंध में घटकों को पूरा किया जाना आवश्यक है।

(3) उच्चतम अंक ऐसे संस्थानों को दिए जाएंगे, जिन्होंने होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर तथा प्रत्यायन, अनुसंधान व प्रकाशन, शिक्षा गुणवत्ता पहल तथा अर्जित उच्च शैक्षिक सुविधाओं जैसे अन्य घटकों को हासिल कर लिया है।

(4) संस्थानों का श्रेणीनिर्धारण संबंधित वर्ष में प्रवेश आरंभ से पूर्व राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) चिकित्सा संस्थानों की वेबसाइट, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट पर उल्लेखित संस्थानों का श्रेणीनिर्धारण का लिंक अपलोड करेगी।

(6) आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण प्रतिवर्ष किया जायेगा।

(7) चिकित्सा संस्थानों को मूल्यांकन के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अंकों के आधार पर कॉलेजों को 'क ++' श्रेणी, ' क+' श्रेणी, ख+' श्रेणी, ' ख ' श्रेणी से लेकर ' ग ' श्रेणी तक वर्गीकृत किया जाएगा।

श्रेणी	**आवलोकन अंक**
क ++	80% से अधिक कुल अंक
क+	70% से 80% तक के कुल अंक
ख+	60% से 70% तक के कुल अंक
ख	50% से 60% तक के कुल अंक
ग	कुल अंकों के 50% से कम

14. होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा किसी योजना की अस्वीकृति तथा मौजूदा चिकित्सा

संस्थानों को प्रवेश अनुमति देने से इंकार करने पर अपील - (1) जहां प्रस्ताव प्राप्त होने के छह महीने के अंदर अथवा योजना की अस्वीकृति पर चिकित्सा अवलोकन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा किसी योजना पर कोई आदेश पारित नहीं

किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के तीस दिनों के अंदर आयोग में अपील कर सकता है।

(2) आयोग द्वारा विचार की जाने वाली अपील की प्रविधि, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (सामान्य) विनियम, 2023 में प्रदान की XBZ है, अपील पर विचार करते समय आयोग उसी का पालन करेगा।

(3) जहां आयोग ने योजना को अस्वीकृत कर दिया है अथवा इन विनियमों के अंतर्गत अपील की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, संबंधित व्यक्ति ऐसे अस्वीकृति की सूचना के सात दिनों के अंदर केंद्र सरकार को दूसरी अपील कर सकता है।

15. अर्हता की मान्यता वापस लेना अथवा मान्यता रद्द करना- (1) निरीक्षण अथवा मूल्यांकन पर, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड चिकित्सा संस्थान को दी गई, किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदत्त अर्हता की मान्यता वापस लेने अथवा मान्यता रद्द करने के लिए आयोग को निम्नलिखित कारणों से रिपोर्ट भेजेगा, अर्थात:-

(क) किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम तथा परीक्षा अथवा उम्मीदवारों से अपेक्षित दक्षता, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है; अथवा

(ख) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों और मानदंडों का किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, तथा ऐसा विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में आवश्यक सुधारात्मक

कार्रवाई करने में विफल रहा है, आयोग उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई आरंभ कर सकता है:

(ग) आयोग स्वत: संज्ञान लेकर जुर्माना लगाने अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता की मान्यता को वापस हेतु कार्रवाई आरंभ करेगा।

(घ) आयोग, संस्तुति पर राज्य की सरकार को जिसमें कि विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान स्थित है, लिखेगा। राज्य सरकार संबद्ध विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगेगी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर आयोग को संस्तुति प्रषित करेगी।

(ङ) आयोग, जांच करने के पश्चात, जैसा उचित हो, तथा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश अथवा प्रशासन व संबंधित चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के साथ परामर्श करने के पश्चात, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान की गई है, चिकित्सा अर्हता व होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, संबंधित विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान के खिलाफ बोर्ड द्वारा रखी गई सूची की प्रविष्टियों में संशोधन करने का निर्देश देगा ताकि ऐसी अहर्ता की मान्यता उस आदेश में निर्दिष्ट तिथि से वापस ले ली जाए।

(च) यदि उचित पाया गया, तो आयोग शिक्षा आयोग को निर्देशित करेगा कि प्रदत्त अधिकारों के अनुसार सूची में संसोधन कर निर्धारित आदेश द्वारा प्रदत्त मान्यता को वापस ले सकता है तथा इसे आम जनता के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है।

16. होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों के बंद होने की स्थिति - (1) आवश्यकता एंव पात्रता,-

(क) क्रमिक बंदी अथवा पूर्ण संवरण की मांग करने वाले वर्तमान संस्थान, संबंधित राज्य और संबद्ध विश्वविद्यालय की सिफारिशों के साथ होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड पर आवेदन करेंगे।

(ख) क्रमिक बंदी के मामले में, प्रथम स्तर पर बंदी के आरंभ की अनुमति वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में दी जाएगी तथा बाद के वर्षों के कामकाज को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में क्रमिक रूप से बंद कर दिया जाएगा। यद्यपि, अंतिम समापन आदेश सभी शैक्षणिक कोर्स के पूर्ण होने तथा कॉलेज द्वारा शपथ पत्र/वचनपत्र (प्रपत्र 1) में जमा करने के पश्चात जारी किया जाएगा।

(ग) पूर्ण बंद होने की स्थिति में, संस्थान को एक बार में पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

(घ) क्रमिक संवरण या पूर्ण संवरण, आयोग अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संस्थान के खिलाफ दायर किसी लंबित अदालती मामले के अधीन नहीं होना चाहिए।

(ङ) बंद महाविद्यालय न्यूनतम आवश्यक शिक्षा विनियमों में सूचीबद्ध अन्य पाठ्यक्रमों में आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

(च) महाविद्यालय बंद करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र विनियम के (प्रपत्र 2) के अनुसार होगा।

(2) प्रक्रिया:

(क) महाविद्यालय को विनियमों के अनुसार होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड को आवेदन करना होगा।

(ख) चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड अथवा जांच हेतु गठित समिति महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।

(ग) महाविद्यालय का बंद होना, आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रभावी होगा।

(3) वर्तमान संस्थानों के आवेदन जिन्होंने संस्थान को बंद करने हेतु आवेदन किया है, उन्हें संबद्ध विश्वविद्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए शून्य छात्र प्रवेश के साथ अनुमति का विस्तार दिया जाएगा। ऐसे संस्थानों को सभी छात्रों के उत्तीर्ण होने (या) के बाद सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने चाहिए अथवा संबद्ध विश्वविद्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नजदीकी होम्योपैथिक महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तथा महाविद्यालय को आधिकारिक तौर पर बंद करने की मांग करनी चाहिए।

(4) महाविद्यालय को बंद करने का आवेदन उस पाठ्यक्रम की अवधि के लिए वैध होगा जिसके भीतर संस्थान को वॉछित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड, संबद्ध विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को सूचित करके आयोग की मंजूरी के पश्चात कॉलेज को बंद कर सकता है तथा इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। ऐसे संस्थानों के मामले में जहां बैंक गारंटी जारी करने से

पूर्व, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है, (सुरक्षा जमा मूल्य के अनुसार जुर्माना,) बैंक गारंटी वापस करने से पूर्व लगाया जाएगा।

17. छूट हेतु मार्गदर्शन:

आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श कर पहाड़ी, जनजातीय, उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सा संस्थानों हेतु अथवा जैसा आयोग, केन्द्र सरकार से इस शर्त के अधीन कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होगी, यदि उचित समझे तो शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर में छूट देगा।

डॉ. के. आर.जर्नादनन नायर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./825/2023-24]

प्रपत्र -1

(विनियम-18(1)(आ) देखें)

शपथ पत्र/ वचन पत्र

(होम्योपैथी चिकित्सा माहविद्यालय शीर्ष पत्र पर जारी होगा)

सेवा में,

अध्यक्ष,

होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

61-65, औद्योगिक क्षेत्र, जनक पुरी

नई दिल्ली -110058

संदर्भ : (नाम) होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय बंद करने वाबत.

महोदय,

हम निम्न वचन देते हैं अर्थात:-

(i) कि जब तक अध्ययनरत् सभी छात्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेते, तब तक महाविद्यालय आवश्यक धनराशि तथा बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर, संकाय व नैदानिक प्रशिक्षण आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

(ii) कि महाविद्यालय उन छात्रों के लिए भी ऐसी सभी व्यवस्थाएं करेगा जो असफलता के कारण पिछड़ रहे हैं।

(iii) कि महाविद्यालय नियमित छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों के साथ साथ असफलता के कारण पीछे रहने वाले छात्रों की सर्तकता राशि वापस करने का दायित्व वहन करेगा।

(प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित)

प्रपत्र -2

(विनियम-18(1) (ऊ) देखें)

महाविद्यालय बंद करने का प्रस्ताव:

(आवेदक द्वारा 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप।

मैं या हम <नाम> अध्यक्ष, <ट्रस्ट सोसाइटी का नाम> सचिव, <ट्रस्ट या सोसाइटी का नाम>, पुत्र .....आयु ..... , सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान, कथन और वचन देते हैं कि महाविद्यालय को बंद करने

हेतु……..विश्वविद्यालय को <कॉलेज का नाम और पता> के हमारे आवेदन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने हेतु ।

(अ) नतीजतन, मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ट्रस्ट (ट्रस्ट का नाम और पूरा पता) इसके लिए जिम्मेदार है

(आ) इस पाठ्यक्रम में पूर्व से ही प्रवेशित छात्रों की शिक्षा तथा परीक्षा संबंधी कार्य पूरा होने तक।

(इ) ऐसे छात्रों तथा सभी कर्मचारियों (शिक्षण व गैर-शिक्षण) के प्रशासनिक मुद्दे।

(ई) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग या भारत सरकार के खिलाफ कोई अदालती मामला लंबित नहीं है। विश्वविद्यालय, (स्थान)

(उ) कोई रैगिंग अथवा महिला उत्पीड़न अथवा पुलिस का मामला लंबित नहीं है।

(ई) मानदंडों के गैर-अनुपालन के संबंध में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अथवा संबद्ध विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की गई।

वचनपत्र निष्पादित करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

(मुहर) के साथ उसकी आधिकारिक स्थिति

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त हलफनामे में बताए गए तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं । इसका कोई भी भाग गलत नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें छिपाया नहीं गया है।

इस पर <दिनांक> पर <स्थान का नाम> सत्यापित किया गया।

साक्षी

(निष्पादकों की मुहर का नाम, पदनाम और पता)

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

File No. 10-2/MARBH/NCH/2023-24.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses *(v), (w), (x), (y), (z), z(b) and z(c)* of sub-section (2) of section 55 read with section 28 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) and in supersession of the Homoeopathy Central Council (Inspectors and Visitors) Regulations, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institutions)Regulations, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Definitions.** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

   (a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

   (b) "attached hospital" means a teaching homoeopathic collegiate hospital attached to the medical institution;

   (c) "course" means the courses of study in homoeopathy, namely :-

      (i) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery, means an Undergraduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act;

      (ii) "Doctor of Medicine (Homoeopathy) or Post Graduation in Homoeopathy" a Post Graduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act;

      (iii) any other course with medical qualification recognised by the Homoeopathy Education Board and shall also include trainings or fellowship in Homoeopathy above graduate level.

   (d) "Form" means a Form annexed to these regulations;

(e) "Scheme" means an organised plan of furnishing information about the Medical Institution for achieving permission and rating;

(f) 'Minimum essential standards' means standards laid down by the Homoeopathy Education Board for conducting course(s), examinations and includes norms for infrastructure, faculty and quality of education and research in medical institutions;

(g) 'Inspector' means a team of experts appointed by the Medical Assessment and Rating Board or hired through authorised third-party agency by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy for carrying out inspection of medical institutions for assessment and rating and maintenance of minimum essential standards as specified by the Homoeopathy Education Board.

(2) words and expressions used herein and not defined in the regulations, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Procedure of assessment and rating of Medical Institutions. – (1) Each existing medical institution will be invited to submit information in structured format by offline or online mode with relevant annexures on annual basis along with the specified fees to the 'Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy' for assessment of maintenance of minimum essential standards as specified through regulation and for the rating.

(2) Applications received on or before the specified last date of submission along with the required fees shall only be accepted.

(3) The medical Institution shall submit continuance of affiliation certificate from the University for the preceding year along with application.

(4) All the eligible medical Institution shall be rated by assessment after a period of five years of opening and every year thereafter, subject to maintenance of minimum essential standards as specified.

(5) All such documents with are not in English or Hindi shall be translated and annexed certified with the Application form.

(6) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall verify the fulfillment of the medical institutions in terms of compliance of maintaining minimum essential standards followed by rating of such Institutions.

(7) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may seek any information, clarification, documents or digital material from any Medical College or Medical Institution at any time for the purpose of assessment and rating.

4. Fee to be submitted along with application.- The application submitted under regulations shall be accompanied by the fee as specified in the Table-1, below by way of a demand draft or online payment, payable to the National Commission for Homoeopathy, New Delhi, namely: -

Table No. 1

For existing Homoeopathic Medical Colleges			
Fees	**Amount (Rs.)**		
	Under graduate course	Post graduate course (alone)	For both Post graduate and Under graduate course
Processing fee for assessment	Two lakhs	Three lakhs	Four lakhs
For establishing New Homoeopathic Medical Colleges			
Fees	**Amount (Rs.)**		
	Under graduate course	**Post graduate course (per subject)**	
Processing fee for assessment	Five lakhs	Two lakhs	
For Increase of Seats			
Processing fee for assessment	Four lakhs	Twenty-Five Thousand per seat	

5. Extension of approval for admissions for existing Institutions based on self-disclosure.–(1) All recognised existing homoeopathic medical Institutions with more than five years of establishment and having permission from Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or Commission or Government of India continuously during last three years shall get extension of approval for admissions for the subsequent year based on self-disclosure through web portal of the Commission, with an affidavit stating full compliance to Minimum Essential Standards as notified, as per the sanctioned intake capacity of the preceding year of notification of this regulation. Such colleges may be inspected for necessary verification of compliance of regulation during the course of academic year. Extension of approval for admissions shall be conveyed.

(i) Provided that the Institution is not acted upon by Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or Commission or Government of India under the provisions of clause (f) sub-section (1) of section 28 of the National Commission for Homoeopathy Act.

(ii) Provided further that no legal or disciplinary issues pending or contemplated against the Institution.

(iii) Provided further that the Institution has not violated the provisions of regulations on admission of students as specified through regulations.

(2) The existing colleges which do not fall in category as per sub regulation (1) above, shall be given permission or denial for admission in subsequent year only after conducting the inspection.

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy upon inspection if finds institution not having compliances to Minimum essential standards as specified through regulations shall be acted upon sections 8 and 9 of this regulation.

(4) Institutions not seeking permission for admissions or are denied permission, consecutively during last five years, shall be considered fresh, if applies to get permission under scheme of opening of opening of new colleges shall apply under scheme of opening of new colleges as per provisions of the related regulation notified elsewhere.

6. Manner of appointment of inspectors or independent rating agencies for assessment and rating.– (1)The President of Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall appoint such number of inspectors, authorised third party agency to inspect the medical institution for assessment and rating for maintenance of minimum essential standards as specified.

(2) No person shall be appointed as an inspector unless he or she possesses the following qualification, namely: -

(i) a recognised Post Graduate medical qualification in Homoeopathy included in the Degree Recognition List maintained by the Homoeopathy Education Board of the Commission; and

(ii) having at least five years professional experience in a Central Government or State Government or Autonomous Institution.

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may also hire services of public sector agency, having experience of similar work of assessment or rating of Medical or Non-medical Institutions as independent assessment and rating agency by calling Expression of Interest on mutually agreed terms and conditions after approval of the Commission.

(4) The team of experts or independent assessment and rating agency shall follow the guidelines for assessment of Minimum Essential Standards and or rating of the institutions.

7. Manner of carrying out Inspections for Assessment and Rating of Medical Institutions. – The Medical Institutions, shall be inspected for assessment and rating as under:

(a) the Medical Assessment Board of Homoeopathy shall authorise such number of Inspectors or through authorised third-party independent rating agency as deemed necessary to inspect Medical Institutions for assessment and rating to maintain the minimum essential standards as specified;

(b) inspections shall be carried out in physical or online or hybrid mode.

(c) institutions shall also be assessed as per rating criteria specified in these regulations;

(d) rating of medical Institutions shall be made available on the website of the National Commission for Homoeopathy every year;

(e) inspection teams or Rating Agency shall be provided all the required documents duly signed by the authority of the Institutions as may be asked to submit during inspection;

(f) the information and reports with annexures or video recording of inspection for assessment and rating of a Medical Institution shall be kept confidential. It shall be submitted to the Medical

Assessment or Rating Board for Homoeopathy with signatures of all team members in a sealed cover. Copy of the report to be submitted online to official e-mail of the Board on the same day.

(g) the report of inspection for rating and assessment shall be made available to the concerned Institution after final decision has been taken by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy; and

(h) more than one inspection for a college can be conducted during an academic year, if found necessary by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or by the Commission.

8. Failure to maintain minimum essential standards. - Upon assessment, if any Institution is not maintaining the minimum essential standards as specified, the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, shall reduce the intake of seats or deny permission for admissions and recommend to the Commission for withdrawal of recognition in that particular academic year or subsequent year as the case may be.

9. Imposition of penalty for failure to maintain minimum essential standards of education. –

The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall issue warning, impose penalty or to take action against the medical Institution for the following reasons namely:-

(i) monetary penalty shall be imposed on the Medical Institution for submitting forged documents in support of claim for maintenance of minimum essential standards;

(ii) monetary penalty shall be imposed on the Medical Institution in case of providing false teaching experience to a teacher or to any other staff; and

(iii) monetary penalty shall be imposed on the Medical Institution having ghost teachers on their faculty list appointed by them as full-time teachers.

(iv) the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, may issue warning to the Medical Institution with the directions to rectify the deficiencies in maintaining the Minimum Essential Standards in time bound manner as specified ;

(v) failure to rectify the deficiencies within the time period given, if noticed monetary penalty as recommended by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy and approved by the Commission shall be imposed on the Medical Institution;

(vi) amount of penalty shall be deposited in the Account of the National Commission for Homoeopathy;

(vii) permission to the Medical institution shall be denied in the subsequent year if monetary penalty is not deposited to the Commission in time;

10. Inspection for Assessment of scheme for establishment of new medical institution. – (1) Inspection for establishing a new Medical Institution shall be considered after assessment of eligibility requirements as per the norms laid down by the Homoeopathy Education Board for imparting Under Graduate and Post Graduate courses on submission of required information, and documents along with requisite fee as per the norms as prescribed in the **(Form-1).**

(2) New Institution shall be assessed keeping in view of the following requirements before issuing letter of Intents, namely:-

(a) adequacy of infrastructure and financial resources as per norms and minimum essential standards laid down by the Homoeopathy Education Board;

(b) written consent of the required faculty fulfilling the essential qualification and experience, availability of non-teaching staff;

(c) other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of the existing Homoeopathy Hospital and as may be required for the Medical Institution;

(d) valid No Objection Certificate from the State Government after holding inspection of the premises as per the format of the Commission;

(e) valid consent of affiliation from the affiliating University issued in the format of the Commission with the report of inspection;

(3) The application of new scheme shall be returned, if the same is not completed in terms of the required documents and provided under sub-regulation (2).

(4) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall issue Letter of Intent after verification of required documents and facilities as specified by the Homoeopathy Education Board for new scheme through inspection.

(5) The new Medical Institution shall be inspected for assessment for Minimum Essential Standards and rating compulsorily every year after five years from the date and year of establishment, with required fee.

(6) Assessment of the new Institution shall be carried out according to phase wise requirements for development for new Scheme as specified by the Homoeopathy Education Board.

(7) A Letter of Permission shall be issued after assessment of compliance of minimum essential standards as per the criteria laid down for infrastructure, teaching and non-teaching faculty, medical and para-medical staff, and other adequate facility required and specified for proper functioning of Medical Institution including hospital and specific requirements as indicated in the Letter of Intent and receipt of the required Performance Bank Guarantee in favor of the National Commission for Homoeopathy.

(8) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall verify all facilities after physical inspection of the College, if satisfied on the facilities established in the College and Collegiate Hospital shall issue for permission for one academic year. If any essential facilities are found as not addressed, Letter of Permission for subsequent academic year, as the case may be, shall not be issued, or cancelled.

(9) Letter of Permission shall be issued for the particular academic year for which the application is received.

(10) New Medical Institution shall be assessed compulsorily every year for five years from the date and year of opening with required fee.

(11) Assessment for Minimum Essential Standards and Rating of the new Institution shall be carried out according to requirements of phase wise development as per the new scheme as specified by the Homoeopathy Education Board.

11. Assessment of new scheme for opening new or higher course of study or training. -(1) Inspection for opening a new higher course or training by a medical institution shall be considered after assessment of eligibility requirements for application as specified by the Homoeopathy Education Board through regulation.

(2) The Institution shall be assessed keeping in view of the following before issuing Letter of Intent, namely :-

(a) adequacy of infrastructure and financial resources as per Minimum Essential Standards, 2024 for new scheme as specified by the Homoeopathy Education Board;

(b) adequate academic faculty, non-teaching and supportive staff, additional facilities in Library and Laboratories and all other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of medical institution;

(c) adequate hospital facilities and functioning are in existence as assessed through inspection;

(d) The continuance of Affiliation Certificate with list of faculties and guides issued by the University after the University inspections for the last two years;

(e) approval of faculties for higher course by the University without affecting Under Graduate course; and

(f) valid No Objection Certificate from the State Government

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall inspect the Medical Institution and issue Letter of Intent, if the applicant institution is found eligible. The Letter of Intent to start a new higher course or training by a Medical Institution shall include a statement of requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipment, faculty, and other manpower as assessed by the Inspector.

(4) In case of failure to fulfill the requirements for opening new Post Graduate Course or higher course of study or training, an opportunity to rectify the defects, within a time period as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, shall be given.

(5) In the case of defects not removed, the scheme shall be disapproved by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy.

(6) Letter of Permission shall be issued after assessment of compliance of the conditions and requirements indicated in the Letter of Intent and on receipt of the required Performance Bank Guarantee or security deposit in favour of the Commission and appointment of required faculty, other manpower and facilities as per regulations for opening new Post Graduate Course or Higher Course of study or training.

(7) All the facilities shall be verified before approval by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy.

12. Assessment for scheme for increase in seating capacity in the existing medical institution. – (1) Inspection for increase in intake capacity in existing Medical Institution shall be considered after Assessment of Eligibility Requirements for application as per Minimum Essential Standards as specified by the Homoeopathy Education Board and on submission of required information and documents along with requisite fee.

(2) The existing medical institution applying for increase in seating capacity shall be assessed keeping in view of the following, before issuing Letter of Intent, namely:-

(a) adequacy of infrastructure and financial resources as per Minimum Essential Standards, 2024 for increase in seating capacity as notified by separate regulations;

(b) required academic faculty, non-teaching and supportive staff and other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of Medical Institution as specified in the scheme; and

(c) adequate hospital facilities and functioning are in existence.

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall inspect the Medical Institution and issue Letter of Intent, if the applicant Institution is found eligible.

(4) The Letter of Intent to increase in seating capacity in a Medical Institution shall include a statement of requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, Medical and allied equipment, faculty, and other manpower.

(5) In case of failure to fulfill the requirements for increase in seating capacity, an opportunity to rectify the defects, within a time period as may be specified by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, shall be given.

(6) In case of defects not removed, the scheme shall be disapproved by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy.

(7) Letter of Permission shall be issued only after considering the maintenance of Minimum Essential Standards during the last five years and also after assessment of compliance and fulfillment of requirements indicated in the Letter of Intent.

(8) Submission of required performance Bank Guarantee or security deposit in favor of the Commission and appointment of required faculty and other manpower.

(9) In case of failure to fulfill the requirements as assessed by the Medical Assessment and Rating board, the scheme for increase in seating capacity shall be disapproved.

13. Rating criteria for the Medical Institutions. - (1) The Medical Institutions shall be assessed on the following parameters for rating purpose:

(i) infrastructure and equipment;

(ii) human and finance resources;

(iii) hospital operations and functionalities;

(iv) teaching-learning program and technology;

(v) evaluation of education program (Course outcome);

(vi) research and publications;

(vii) community outreach program;

(viii) staff or student welfare;

(ix) accreditation like National Assessment and Accreditation Council, National Accreditation Board for Hospitals, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, International Organisation for Standardization;

(x) quality assurance and feedback; and

(xi) capacity building of the faculty and staff.

(2) The components in respect of infrastructure and manpower are required to be fulfilled by the Medical Institutions, as per the specifications of requirement of applicable in regulations, to have an average score.

(3) The higher score shall be given for such Institutions, who have achieved minimum essential standards as specified by the Homoeopathy Education Board and other components like accreditation, research and publications, quality education initiatives and higher educational facility acquired.

(4) The rating of Institutions shall be made available on the website of the National Commission for Homoeopathy before the admissions are open in the respective year.

(5) The website of Medical Institutions shall publish the link on rating of institutions mentioned on the website of the National Commission for Homoeopathy.

(6) Assessment and Rating shall be done annually.

(7) The Medical Institutions shall be graded based on the scores obtained during the assessment. Based on the scores, colleges will be rated from 'A+' Grade, 'A' Grade, 'B+' Grade, 'B' Grade up to 'C' Grade.

Grade	**Assessment Score**
A++	Above 80% of the total score
A+	Above 70% up to 80% of the total score
B+	Above 60% up to 70% of the total score
B	Above 50% to 60% of the total score
C	Below 50% of the total score

14. Appeals on disapproval of a scheme and denial of permission to existing medical institutions for admissions by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy. – (1) where no order is passed by the Medical Assessment and Rating Board on a scheme within six months of receiving the proposal or on disapproval of the scheme, the person concerned may prefer an appeal to the Commission within thirty days of such disapproval.

(2) Manner of appeal to be considered by the Commission has been provided in the National Commission for Homoeopathy (General) Regulations, 2023. The Commission shall follow the same while considering appeal.

(3) where the Commission has disapproved the scheme or no order has been passed within fifteen days from the date of preferring appeal under these regulations, the person concerned may prefer a second appeal to the Central Government, within seven days of the communication of such disapproval.

15. Withdrawal of recognition or de-recognition of qualification.- (1)Upon inspection or assessment, the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall send report to the Commission for withdrawal of recognition or de-recognition of qualification granted to the Medical Institution by a University or Medical Institution on the following reasons, namely :-

(a) the courses of study and examination to be undergone in, or the proficiency required from candidates at any examination held by a University or Medical Institution do not conform to the minimum essential standards specified by the Homoeopathy Education Board; or

(b) the standards and norms for infrastructure, faculty and quality of education in medical institutions as determined by the Homoeopathy Education Board are not adhered to by any University or Medical Institution, and such University or Medical Institution has failed to take necessary corrective action to maintain specified minimum essential standards, the Commission may initiate action in accordance with the provisions of sub-section (2):

(c) the Commission shall initiate action to impose penalty or take action for *suo-moto* withdrawal of recognition granted to the medical qualification awarded by a University.

(d) The Commission on the recommendation shall write to the Government of the State in which the University or Medical Institution is situated. The State Government shall seek explanation from the affiliating University and upon receiving such explanation shall make the recommendations to the Commission.

(e) the Commission shall, after making such further inquiry as it deems fit, and after holding consultations with the State Government or Union territory administration and the authority of the

concerned University of Medical Institution, comes to the conclusion that the recognition granted to such medical qualification ought to be withdrawn and by order, shall withdraw recognition granted and upload it on its website for general public

(f) The Commission shall direct the Homoeopathy Education Board to amend the entries against the University or Medical Institution concerned in the list maintained by that Board to the effect that the recognition granted to such qualification is withdrawn with effect from the date specified in that order.

16. Closure of Homoeopathy Medical Colleges. - (1) Requirement and eligibility,-

(a) The existing Institution seeking for progressive closure or complete closure shall apply to the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy with the recommendations of the concerned State and from the affiliating University.

(b) In case of progressive closure, closure at first level shall be allowed in the current academic year and the subsequent years of working shall be closed at the end of each academic year progressively. However, final closure order shall be issued after completion of the program(s) and submission of Affidavit/Undertaking **(Form 1)** by the College.

(c) In case of complete closure, the institution shall be closed completely in one instance.

(d) Progressive closure or complete closure is subject to no pending court case filed against the Institution by the Commission or State Government or Central Government.

(e) College shall not be eligible to apply to other courses listed in Minimum Essential Education regulation.

(f) The affidavit to be submitted for closure of the College shall be as per **(Form 2)** of the regulation.

(2) **Procedure:**

(a) The College has to apply to Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy as per the Regulations.

(b) Medical Assessment and Rating board or Committee constituted for scrutiny shall verify the documents submitted by the college.

(c) The closure of College shall be effected only on receipt of approval by the Commission.

(3) Applications of existing institutions which have applied for closure of the institution, shall be given an extension of permission with zero student intake for the current academic year, for submission of Inspection report of affiliated University. Such institutions should submit all relevant documents after all students passed out (or) redistributed or transferred through affiliated University to nearby Homoeopathic Medical Colleges as recognised by the National Commission for Homoeopathy and seek official closure of the college.

(4) The application for closure of the College shall be valid for the duration of the course within which the Institution should submit the required mandatory documents. Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may close the College after approval of the Commission with the intimation to the affiliating University and State Government or Union territory Administration and shall issue a Public Notice regarding the same. In case of such institutions where Bank Guarantee is to be released, a penalty of the value of security deposit as may be decided by the Commission shall be imposed before the release of same.

17. Criteria for relaxation.-

The Commission upon consultation with the Central Government shall relax Minimum Essential Standards as specified by the Homoeopathy Education Board for medical institutions which are set up in such areas like Hills, Tribal, North-Eastern States, or as deemed necessary by the Commission in consultation with the Central Government subject to the condition that quality of education and health care services shall not be affected seriously.

Dr. K.R. JANARDANAN NAIR, President

[ADVT.-III/4/Exty./825/2023-24]

Form-1

[See regulation 18(1)(b)]

Affidavit or Undertaking

(To be issued on Homeopathy Medical College letter head)

To

The President,

Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy,

National Commission for Homoeopathy,

61-65, Institutional Area, Janakpuri,

New Delhi-110058

Reference: Closure of (Name) Homoeopathic Medical College-reg.

Sir,

We Undertake the following, namely:-

(i) that the college shall provide requisite fund and facility like infrastructure, laboratory, library, computers, faculty and clinical training and so on till all the students studying complete their course.

(ii) that college shall also make all such arrangements for students who are trailing due to failure.

(iii) that college shall bear liability of refunding the caution money to passing out of the regular as well as trailing students.

(Signature of Principal with seal)

Form-2

[see regulation 18(1)(f)]

Closure of College

(Format of affidavit to be submitted by the applicant on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/- duly sworn before first class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner.

I or We <Name> Chairman, <name of the Trust Society> Secretary, <name of the trust or Society>, son of …….aged…… do hereby solemnly affirm, state and undertake to comply with the following in connection with our application of <College Name and Address> to ……..University, for closure of the college.

(a) Consequently, I hereby declare that the Trust (Name of Trust and full address) is responsible for

(b) The education and examination related work of the students already admitted in this course till completion.

(c) Administrative issues of such students and all staff (teaching and non-teaching).'

(d) No court case is pending against the National Commission for Homoeopathy or Government of India……. University, (Place)

(e) No ragging or women harassment or Police case is pending.

(f) No punishable action taken by the National Commission for Homoeopathy or Affiliating University or State Government regarding non-compliance of norms.

Name of the authorised person executing the undertaking

along with his or her official position with (Seal)

Verification

I, the above named deponent do hereby verify that the facts stated in the above affidavit are true to my knowledge. No part of the same is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at<name of the place>**on this the**<date>.

DEPONENT

(Name, designation and address of the executants' seal)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.15 04:52:22 +05'30'